न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधि०), झांसी।
सत्रवाद सं०–227/2018
सरकार बनाम राजेन्द्र गुर्जर आदि।

दिनांक 02–05–2026

1. पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 558 बी तथा प्रार्थनापत्र 597 बी पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुई।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 558 बी –

2. प्रार्थनापत्र 558 बी अभियुक्तगण के अधिवक्ता कुमार वैभव तिवारी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सारतः कथन है कि वर्तमान सत्र वाद में वादी द्वारा नियुक्त व्यक्तिगत अधिवक्तागण द्वारा लगातार विधि का उल्लंघन कर स्वतन्त्र रूप से अभियोजन संचालित किया जा रहा है, जो धारा–225 व 301(2) दं०प्र०सं० तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**, 2020 SCC (Cri) 496 में प्रतिपादित सिद्धान्त का उल्लंघन है, जिसके अनुसार वादी के व्यक्तिगत अधिवक्तागण का अधिकार मात्र सहायता करने तक सीमित है। इसके बावजूद वाद को संचालित तथा तर्क प्रस्तुतीकरण का कार्य वादी के व्यक्तिगत अधिवक्तागण द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है। वादी के व्यक्तिगत अधिवक्तागण को स्वतन्त्र रूप से अभियोजन की कार्यवाही करने तथा तर्क करने से रोके जाने व लोक अभियोजक को सहायता करने हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है।

3. प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष को सुना।

4. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने **रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** (उपरोक्त) तथा **वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमनल अपील संख्या–1021/2022 में पारित निर्णय दिनांकित 08.08.2022) की विधि व्यवस्था को प्रस्तुत करते हुये यह तर्क दिया सत्र परीक्षणीय मामलों में पीड़ित के अधिवक्ता का अधिकार स्वतन्त्र रूप से न्यायालय में बहस करने अथवा किसी भी साक्षी से प्रति –परीक्षा करने का नहीं है। इस हेतु मात्र शासकीय अधिवक्ता ही अधिकृत हैं। पत्रावली बहस के स्तर पर है तथा अभियुक्तगण की ओर से बहस पूर्ण की जा चुकी है, जिस पर विधिक रूप से तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु मात्र विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ही अधिकृत है। पीड़ित के विद्वान अधिवक्तागण को स्वतन्त्र रूप से बहस करने से रोके जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित **जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा** (2022) 9 SCC 321, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित **लोकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (क्रि०मिस०वाद संख्या–3769/2013, निर्णीत दिनांकित 26.08.2013), **सुनील कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (क्रि०अपील संख्या–724/2017, निर्णीत दिनांकित 18.12.2019), माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित **सचिन कुमार अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य** (Crl.M.C.6489/2022, निर्णीत दिनांकित 12.11.2024) की विधि व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करते हुये यह तर्क किया कि 2009 में संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता के द्वारा पीड़ित के अधिवक्ता को आपराधिक प्रकरण में कार्यवाही हेतु पर्याप्त अधिकारिता प्रदान की गई है। यद्यपि यह सत्य है कि पीड़ित के अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता से पृथक व विपरीत कार्यवाही अथवा तर्क करने हेतु अधिकृत नहीं हैं किन्तु शासकीय अधिवक्ता के दिशा–निर्देशन में की जा रही कार्यवाही में पीड़ित का पक्ष रखने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत है। पीड़ित के अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता की बहस के अनूपूरक के रूप में बहस प्रस्तुत किये जाने की पूर्ण अधिकारिता है तथा इस हेतु उपरोक्त विधि व्यवस्थायें पीड़ित के अधिवक्ता को पूर्ण रूप से अधिकृत करती है।

6. पत्रावली का अवलोकन किया।

7. वर्तमान पत्रावली वर्तमान समय में अन्तिम बहस के स्तर पर है। प्रार्थना पत्र –558 बी पीड़ित के विद्वान अधिवक्ता की वर्तमान सत्र परीक्षणीय वाद में भूमिका से सम्बन्धित है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित **लोकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था अत्यन्त प्रासंगिक है , जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह प्रश्न अभिनिर्णीत किया है कि क्या किसी मुकदमें में पीड़ित के द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को विचारण की समाप्ति पर न्यायालय को सम्बोधित करने की अधिकारिता है। इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि उक्त विधि व्यवस्था धारा –302, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित प्रकरण में ही पारित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने धारा –24(8), 301 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को निर्वचन करते हुये, यह अभिनिर्णीत किया है कि यदि न्यायालय द्वारा

किसी पीड़ित को अपनी इच्छानुसार अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति प्रदान की गई है तो न्यायालय साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात धारा–301 भारतीय दण्ड संहिता में समाहित प्रावधान के अन्तर्गत लिखित बहस दाखिल करने के अधिकार के अलावा पीड़ित के अधिवक्ता को न्यायालय को सम्बोधित करने से वंचित नहीं कर सकती। माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्टतया प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़ित के अधिवक्ता को मौखिक बहस प्रस्तुत करने की स्वीकृत प्रदान की जाती है तो यह अभियुक्त को किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह कारित नहीं करेगा। समान विधिक सिद्धान्त का प्रतिपादन माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **सुनील कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** की विधि व्यवस्था में भी किया गया है ।

8. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने **रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** (उपरोक्त) तथा **वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) की विधि को प्रस्तुत करते हुये बहस के दौरान यह तर्क किया कि उपरोक्त विधि व्यवस्थाऐं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित हैं , जो उच्च न्यायालय के अभिनिर्णयों पर अभिभावी प्रभाव रखती हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया है कि उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीड़ित के व्यक्तिगत अधिवक्ता की भूमिका बहस अथवा प्रतिपरीक्षा में साक्षी से पृच्छा तक विस्तारित होने का स्पष्ट खण्डन किया गया है। बहस के स्तर पर पीड़ित के विद्वान अधिवक्ता की भूमिका मात्र लिखित बहस प्रस्तुत करने तक सीमित की गई है।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। **रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि पीड़ित के अधिवक्ता को अभियोजन की सहायता के दौरान कुछ अर्थपूर्ण भूमिका को प्रदान किया जाना आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्णित किया है कि ऐसा करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की योजना के साथ अर्न्तनिहित संतुलन बनाये रखना आवश्यक है। लोक अभियोजक की प्राथमिक भूमिका तनुकृत (Diluted) नहीं किया जाना चाहिये। इसकी रूपात्मकता (Modilities) प्रत्येक मुकदमें में भिन्न –भिन्न होती है। पीड़ित के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन की सहायता की सीमा तथा इसका प्रकार, प्रत्येक वाद के तथ्यों पर निर्भर करता है। इस प्रकार, रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित के अधिवक्ता की भूमिका को अत्यन्त सीमित होना नहीं बताया है तथा इसको प्रत्येक वाद की परिस्थितियों पर निर्भर होना बताया गया है।

10. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था में धारा–301 व 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में पारित है। उक्त विधि व्यवस्था में धारा –301 भारतीय दण्ड संहिता को सामान्य रूप से अंकित करते हुये, इसका विश्लेषण धारा–311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। इस विधि व्यवस्था में विशिष्ट रूप से इस बिन्दु के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्राप्त नहीं है कि साक्ष्य अंकन के पश्चात बहस के स्तर पर पीड़ित के अधिवक्ता को मौखिक बहस करने के अधिकार प्राप्त है अथवा नहीं।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही **जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा** (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था में पीड़ित के अधिवक्ता के भागीदार अधिकार को विवेचना के स्तर से अपील अथवा पुनरीक्षण की कार्यवाही के समापन तक स्वीकार किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा **सचिन कुमार अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य** (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था में **रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** (उपरोक्त) तथा **जगजीत सिंह बनाम आशीष मिश्रा** (उपरोक्त) की विधि व्यवस्थाओं को अंकित करते हुये उनके आधार पर यह अभिनिर्णीत किया है कि पीड़ित के अधिवक्ता का अधिकार कार्यवाही में भागीदारी का होता है, किन्तु साथ ही पीड़ित के अधिवक्ता लोक अभियोजक को अभिभूत नहीं कर सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित को सुने जाने के अधिकार को स्वीकार करते हुये, यह अभिनिर्णीत किया है कि पीड़ित के अधिवक्ता, लोक अभियोजक के द्वारा की गई बहस को अधिभावी नहीं कर सकता है। वह यह तर्क नहीं कर सकता है कि लोक अभियोजक द्वारा त्रुटिपूर्ण बहस की गई है। आपराधिक कार्यवाही में लोक अभियोजक की भूमिका प्राथमिक है। पीड़ित का अधिवक्ता लोक अभियोजक की बहस में की गई रिक्तियों की पूर्ति कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने पीड़ित के बहस न कर सकने के विचारण न्यायालय के आदेश को उचित नहीं माना।

12. माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित **सचिन कुमार अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य** (उपरोक्त) की विधि व्यवस्था **रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** (उपरोक्त) की पश्चातवर्ती है तथा **रेखा मुरारका बनाम पश्चिम बंगाल राज्य** की विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक

में पारित की गई है। उपरोक्त समस्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक से यह स्पष्ट है कि पीड़ित के विद्वान अधिवक्ता को मौखिक बहस हेतु अवसर प्रदान किया जाना किसी भी प्रकार से अविधिक नहीं है। किन्तु, साथ ही यह भी स्पष्ट है कि पीड़ित के अधिवक्ता की बहस लोक अभियोजक की बहस पर अधिभावी प्रभाव नहीं रखेगी।

13. उपरोक्त आधारों पर प्रार्थनापत्र–558 बी में याचित पीड़ित के अधिवक्ता को तर्क करने से रोके जाने की याचना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

14. प्रार्थनापत्र–558 बी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 597 बी –</u>

15. प्रार्थनापत्र 597 बी अभियुक्तगण प्रहलाद, उद्यम व भरत सिंह के अधिवक्ता श्री कुमार वैभव तिवारी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सारतः कथन यह है कि प्रकरण में साक्ष्य के उपरान्त विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपसंहार किया गया है तथा अभियुक्तगण के अधिवक्तागण द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। धारा–234 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार मात्र विधि के प्रश्नों पर ही अभियोजन (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता) को निवेदन प्रस्तुत करने हेतु तथा तथ्यों पर कोई भी तर्क प्रस्तुत न करने हेतु आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

16. प्रार्थनापत्र पर सुना तथा अवलोकन किया।

17. पत्रावली में साक्ष्य संकलन समाप्त होने के पश्चात अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्तगण की बहस सुनी जा चुकी है। धारा–234 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परन्तुक के प्रावधान के अनुसार साक्ष्य संकलन के पशचात् की गई बहस में अभियुक्त की ओर से किसी विधि के प्रश्न को प्रस्तुत करने पर अभियोजन पक्ष, न्यायालय की आज्ञा से ऐसे विधि के प्रश्नों पर निवेदन कर सकता है। उक्त परन्तुक प्रावधान में निसंदेह विधि के प्रश्न पर ही अभियोजन पक्ष को निवेदन किये जाने की अपेक्षा है। किन्तु, विधि के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान, विधि के सन्दर्भ में स्थिति को स्पष्ट करने हेतु तथ्य को इंकित किया जाना भी तार्किक होगा। इस आशय का निषेध उक्त परन्तुक प्रावधान में नहीं किया गया है। साथ ही, बहस प्रक्रिया को अंतहीन जारी रखने से निवारित करने के आशय से यह भी आवश्यक है कि धारा–234 दण्ड प्रक्रिया संहिता के परन्तुक प्रावधान का पूर्ण अनुपालन किया जाए। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष द्वारा विधि के प्रावधान की पूर्ण अनुपालना की अपेक्षा है।

18. उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र 597 बी निस्तारित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 558 बी निरस्त किया जाता है।

प्रार्थना पत्र 597 बी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते शेष बहस दिनांक–04.05.2026 को पेश हो।

(अनुभव द्विवेदी)
विशेष न्यायाधीश(आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ०कोड–1637)